

**ग्राम पंचायत हटली जम्वाला, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016**

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हटली, जम्वाला विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रीना देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री प्रताप सिंह	23-01-16 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री कमल किशोर	01-11-08 से 30-10-13
2.	श्री तरुण पठानिया	1-11-13 से अद्यतन

{ ख } गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में }
1	5	हस्तगत राशि को जमा न करना	0.02
3.	6	अनुदान राशियों का अवरोधन	8.52
4.	7	औपचारिकता के बिना खरीद बारे	0.11
5.	8	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.32

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हटली जम्वाला विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06-01-2017 से 10-01-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय हटली जम्वाला में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 01/14, 01/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 06/13, 01/15 व 01/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हटली जम्वाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹4000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या : 10 दिनांक 10-01-17 द्वारा पंचायत सचिव, हटली जम्वाला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हटली जम्वाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत हटली जम्वाला के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	31085	20651	51736	15066	36670
2014-15	36670	50457	87127	7187	79940
2015-16	79940	45404	125344	5458	119886

- {2} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत हटली जम्वाला के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	162917	1907742	2070659	1818925	251734
2014-15	251734	1794540	2046274	1774057	272217
2015-16	272217	2137716	2409933	1558111	851822

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB Nurpur	50052431332	33139
2.	KCCB Nurpur	50051937814	537880
3.	KCCB Nurpur	50051937790	101870
4.	KCCB Nurpur	20003062715	928
5.	KCCB Nurpur	20003062136	295501
		CASH IN HAND	470
		TOTAL	969788

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

- (क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 971708
 (ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष :- ₹ 969788
 अन्तर :- ₹ 1920

अन्तर का कारण :- ₹ 1920/- की माह 7/13 की हस्तगत राशि जोकि पूर्व सचिव द्वारा जमा नहीं की गई है ।

5 हस्तगत राशि ₹ 1920/- को जमा न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि माह 7/13 की हस्तगत राशि ₹ 1920 को पंचायत सचिव द्वारा जमा नहीं किया गया था जो की एक गम्भीर अनियमितता है उक्त राशि को वसूल कर जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

5.1 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय

पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम-3 में सहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ वहियाँ व पांच पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 नियमों के विरुद्ध पांच बैंक बचत खातों का खोला जाना:-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता “क” में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता “ख” में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार पाँच बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त तीन खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी

हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹ 8.52 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹851822 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अध्याचना संख्या:09 दिनांक 10-01-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हटली जम्वाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापन सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.11 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। मनरेगा निधि के वाउचर संख्या :-18 माह 6/13 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹10900 का भुगतान 14cum बोल्टर व 5 cum रेत हेतु भुगतान पंचायत द्वारा किया गया है परन्तु उक्त व्यय के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 क्रय की गई ₹ 0.32 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर ₹31900 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. विहित रजिस्ट्रारों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रारों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 260 दिनांक 2-12-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हटली जम्वाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	संदर्भित नियम
1.	चैक बुक रजिस्टर	
2.	रसीद बुक रजिस्टर	
3.	डाक टिकट रजिस्टर	61(2)
4.	गृह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 विविध अनियमितताएं:-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

12 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है ।

13 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(ii) 84 / 2017—खण्ड—12169—2172 दिनांक: 17.03.
2017 शिमला—171009,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत हटली जम्बाला, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

